ख़ानदानी झगड़ों
के असबाब और उनका हल
4
जस्टिस मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

ख़ानदानी झगड़ों

के असबाब और उनका हल

(चौथा हिस्सा)

ख़िताब

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती
मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

अनुवादक

मु० इमरान क़ासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब	**ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल (चौथा हिस्सा)**
ख़िताब	मौलाना मु० तक़ी उस्मानी
अनुवादक	मुहम्मद इमरान क़ासमी
संयोजक	मुहम्मद नासिर ख़ान
तायदाद	1100
प्रकाशन वर्ष	जून 2002
कम्पोज़िंग	इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (0131-442408)

>>>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(चौथा हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَاوَسَنَدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

झगड़ों का एक और सबब

गुज़िश्ता चन्द हफ़्तों से ख़ानदानी झगड़ों के मुख़्तलिफ़ असबाब का बयान चल रहा है। हमारे ख़ानदानों में जो इख़्तिलाफ़ और झगड़े फैले हुए हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह शरीअ़त के एक और हुक्म का लिहाज़ न रखना है। शरीअ़त का वह हुक्म यह है कि:

تعاشروا کالا خوان، تعاملوا کالاجانب.

यानी तुम आपस में तो भाईयों की तरह रहो और एक दूसरे के साथ भाईयों जैसा बर्ताव करो। भाईचारे और

मुहब्बत का बर्ताव करो, लेकिन जब लेन–देन के मामले पेश आएं, और ख़रीद व बेच और कारोबारी मामले आपस में पेश आएं तो उस वक़्त अजनबियों की तरह मामला करो, और मामला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई ग़ैर वाज़ेह और पेचीदगी न हो, बल्कि जो बात हो वह साफ़ हो। यह नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बड़ी ज़बरदस्त तालीम है।

मिल्कियत अलग होनी चाहिए

और नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह बात इर्शाद फ़रमाई कि मुसलमानों की एक एक बात वाज़ेह और साफ़ होनी चाहिए। मिल्कियतें अलग अलग होनी चाहिएं, और कौन सी चीज़ किसकी मिल्कियत है, यह वाज़ेह होना चाहिए। शरीअ़त के इस हुक्म का लिहाज़ न रखने की वजह से आज हमारा समाज फ़सादों और झगड़ों से भरा हुआ है।

बाप बेटे का मुश्तरक कारोबार

जैसे एक कारोबार बाप ने शुरू किया, अब बेटों ने भी उस कारोबार में काम शुरू कर दिया। अब यह मुताय्यन नहीं है कि बेटा जो बाप के कारोबार में काम कर रहा है, वह पार्टनर और साझी की हैसियत से काम कर रहा है, या वैसे ही बाप की मदद कर रहा है। या बेटा मुलाज़िम की हैसियत से बाप के साथ काम कर रहा है और उसकी तन्ख़्वाह मुक़र्रर है। इनमें से कोई बात तय नहीं हुई और

मामला अन्धेरे में है। अब दिन रात बाप बेटे कारोबार में लगे हुए हैं, बाप को जितने पैसों की ज़रूरत होती है, वह कारोबार में से उतने पैसे निकाल लेता है, और जब बेटे को ज़रूरत होती है तो वह निकाल लेता है। अब इसी तरह काम करते हुए सालों साल गुज़र गए और धीरे धीरे दूसरे बेटे भी उस कारोबार में आकर शामिल होते रहे। अब कोई बेटा पहले आया, कोई बाद में आया, किसी बेटे ने ज़्यादा काम किया और किसी बेटे ने कम काम किया।

अब हिसाब किताब आपस में कुछ नहीं रखा, बस जिसको जितनी रक़म की ज़रूरत होती वह उतनी रक़म कारोबार में से निकाल लेता। और यह भी मुताय्यन नहीं किया कि उस कारोबार का मालिक कौन है और किसकी कितनी मिल्कियत है? और न यह मालूम कि कारोबार में किसका कितना हिस्सा है? न यह मालूम कि किसकी तन्ख़्वाह कितनी है? अब अगर दूसरा उनसे कहे कि आपस में हिसाब व किताब रखो, तो जवाब यह दिया जाता है कि भाईयों के दरमियान क्या हिसाब व किताब, बाप बेटे में क्या हिसाब व किताब, यह तो दूई की और ऐब की बात है कि बाप बेटे या भाई भाई आपस में हिसाब व किताब करें। एक तरफ़ ऐसी मुहब्बत का इज़हार है।

बाद में झगड़े खड़े हो गए

लेकिन जब दस बारह साल गुज़र गए, शादियां हो गईं, बच्चे हो गए। या बाप जिन्होंने कारोबार शुरू किया था, दुनिया से चल बसे, तो अब भाईयों के दरमियान लड़ाई

झगड़े खड़े हो गए और अब सारी मुहब्बत ख़त्म हो गई और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि उसने ज़्यादा ले लिया, मैंने कम लिया, फ़लां भाई ज़्यादा खा गया, मैंने कम खाया। अब ये झगड़े ऐसे शुरू हुए कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और ऐसे पेचीदा हो गए कि असल हक़ीक़त का पता ही नहीं चलता। आख़िर में जब मामला तनाव पर आ गया और एक दूसरे से बात चीत करने और शक्ल व सूरत देखने के भी रवादार नहीं रहे, और एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हो गए, तो आख़िर में मुफ़्ती साहिब के पास आ गए कि अब आप मसला बताएं कि क्या करें? अब मुफ़्ती साहिब मुसीबत में फंस गए। भाई! जब कारोबार शुरू किया था, उस वक़्त तो एक दिन भी बैठकर यह नहीं सोचा कि तुम किस हैसियत में कारोबार कर रहे हो? अब जब मामला उलझ गया तो मुफ़्ती बेचारा क्या बताए कि क्या करो।

मामलात साफ़ हों

ये सारे झगड़े इसलिए खड़े हुए कि शरीअ़त के इस हुक्म पर अ़मल नहीं किया कि मामलात साफ़ होने चाहिएं। चाहे कारोबार बाप बेटे के दरमियान हो या भाई भाई के दरमियान हो, या शौहर और बीवी के दरमियान हो, लेकिन हर एक की मिल्कियत दूसरे से मुम्ताज़ और अलग होनी चाहिए। किसका कितना हक़ है? वह मालूम होना चाहिए। याद रखिए! बग़ैर हिसाब व किताब के जो ज़िन्दगी गुज़र रही है, वह गुनाह की ज़िन्दगी गुज़र रही है। इस लिए कि

यह मालूम ही नहीं कि जो खा रहे हो वह अपना हक़ खा रहे हो या दूसरे का हक़ खा रहे हो।

मीरास फ़ौरन तक़सीम कर दो

शरीअ़त का हुक्म यह है कि जैसे ही किसी का इन्तिक़ाल हो जाए, फ़ौरन उसकी मीरास तक़सीम करो, और शरीअ़त ने जिसका जितना हक़ रखा है वह अदा करो। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद माजिद रह्मतुल्लाहि अ़लैहि का इन्तिक़ाल हुआ तो मेरे शैख़ हज़रत डॉ. अ़ब्दुल हई साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। अभी तदफ़ीन नहीं हुई थी, जनाज़ा रखा हुआ था। उस वक़्त हज़रते वाला की तबीयत ख़राब थी, कमज़ोरी थी, और साथ में हज़रत वालिद साहिब की वफ़ात के सदमे का भी तबीयत पर बड़ा असर था। हज़रत वालिद साहिब का ख़मीरा रखा हुआ था, हम वह ख़मीरा हज़रत डॉक्टर साहिब के पास ले गए कि हज़रत थोड़ा सा खा लें ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए।

हज़रत डॉक्टर साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने ख़मीरा हाथ में लेने से पहले फ़रमाया कि भाई! अब इस ख़मीरे का खाना मेरे लिए जायज़ नहीं, क्योंकि यह ख़मीरा अब वारिसों की मिल्कियत हो गया, और जब तक सारे वारिस इजाज़त न दें उस वक़्त तक मेरे लिए इसका खाना जायज़ नहीं है। हमने अ़र्ज़ किया कि हज़रत! सारे वारिस बालिग़ हैं और सब यहां मौजूद हैं, और सब ख़ुशी से इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए आप इसमें से खा लें, तब जाकर आपने वह ख़मीरा

खाया। बहर हाल! अल्लाह तआ़ाला ने मीरास तक़सीम करने की ताकीद फ़रमाई कि किसी के इन्तिक़ाल पर फ़ौरन उसकी मीरास वारिसों के दरमियान तक़सीम कर दो ताकि बाद में कोई झगड़ा पैदा न हो।

मीरास जल्द तक़सीम न करने का नतीजा

लेकिन आज हमारे समाज में जहालत और नादानी का नतीजा यह है कि अगर किसी के मरने पर उसके वारिसों से यह कहा जाए कि भाई मीरास तक़सीम करो, तो जवाब में यह कहा जाता है कि तौबा तौबा, अभी तो मरने वाले का कफ़न भी मैला नहीं हुआ और तुमने मीरास की तक़सीम की बात शुरू कर दी। चुनांचे मीरास की तक़सीम को दुनियावी काम क़रार देकर उसको छोड़ देते हैं। अब एक तरफ़ तो इतना तक़वा है कि यह कह दिया कि अभी तो मरने वाले का कफ़न भी मैला नहीं हुआ, इसलिए माल व दौलत की बात ही न करो। और दूसरी तरफ़ यह हाल है कि जब मीरास तक़सीम नहीं हुई और मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते रहे तो साल के बाद वही लेग जो माल व दौलत की तक़सीम से बहुत नागवारी का इज़हार कर रहे थे, वही लोग उसी माल व दौलत के लिए एक दूसरे का ख़ून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि फ़लां ज़्यादा खा गया, फ़लां ने कम खाया।

घर के सामान में मिल्कियतों का फ़र्क़

इसलिए शरीअ़त ने मीरास की तक़सीम का फ़ौरी हुक्म

इसलिए दिया ताकि मिल्कियतें अलग हो जाएं, और हर शख़्स की मिल्कियत वाज़ेह हो कि कौन सी चीज़ किसकी मिल्कियत है। आज हमारे समाज का यह हाल है कि मियां बीवी को मालूम ही नहीं होता कि घर का कौन सा सामान मियां का है और कौन सा बीवी का है। ज़ेवर मियां का है या बीवी का है। जिस घर में रहते हैं उसका मालिक कौन है। इसका नतीजा यह है कि बाद में झगड़े खड़े हो जाते हैं।

हज़रत मुफ़्ती साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि की एहतियात

मेरे वालिद माजिद रह्मतुल्लाहि अ़लैहि की बात याद आ गई, आख़िर ज़माने में वफ़ात से कुछ अ़र्से पहले बीमार थे, और बिस्तर पर थे। और अपने कमरे ही के अन्दर सीमित होकर रह गए थे। उस कमरे में एक चारपाई होती थी, उसी चारपाई पर सारे काम अन्जाम देते थे। वालिद साहिब के कमरे के बराबर में मेरा एक छोटा सा कमरा होता था। मैं उसमें बैठा रहता था। खाने के वक़्त जब वालिद साहिब के लिए ट्रे में खाना लाया जाता तो आप खाना तनावुल फ़रमाते और खाने के बाद फ़रमाते कि ये बरतन जल्दी से वापस अन्दर ले जाओ, या मदरसे से कोई किताब या कोई चीज़ मंगवाई तो फ़ारिग़ होते ही फ़रमाते कि इसको जल्दी से वापस कर दो, यहां मत रखो। कभी कभी हमें वह बरतन या किताब वग़ैरह वापस ले जाने में

देर हो जाती तो नाराज़गी का इज़हार फ़रमाते कि देर क्यों की, जल्दी ले जाओ।

हमारे दिल में कभी कभी यह ख़्याल आता कि वालिद साहिब बरतन और किताब वापस करने में बहुत जल्दी करते हैं। अगर पांच सात मिनट देर हो जायेगी तो कौन सी क़ियामत आ जायेगी। उस दिन यह राज़ खुला जब आपने एक दिन हम से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि मैंने अपने वसीयत नामे में यह बात लिखी हुई है कि यह मेरा कमरा जिसमें मेरी चारपाई है, इस कमरे के अन्दर जो चीज़ें हैं, सिर्फ़ ये चीज़ें मेरी मिल्कियत हैं, और घर की बाक़ी सब चीज़ें मैं अपनी बीवी की मिल्कियत कर चुका हूं। अब अगर मेरा इन्तिक़ाल इस हालत में हो जाए कि मेरे कमरे में बाहर की कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो इस वसीयत नामे के मुताबिक़ लोग यह समझेंगे कि यह मेरी मिल्कियत है, और फिर उस चीज़ के साथ मेरी मिल्कियत जैसा मामला करेंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे इस कमरे में कोई बाहर की चीज़ देर तक पड़ी न रहे, जो चीज़ भी आए वह जल्दी वापस चली जाए।

बहर हाल! मिल्कियत वाज़ेह करने का इस दर्जा एहतिमाम था कि बेटों की मिल्कियत से, बीवी की मिल्कियत से, मिलने जुलने वालों की मिल्कियत से भी अपनी मिल्कियत अलग और मुम्ताज़ थी। अल्हम्दु लिल्लाह, इसका नतीजा यह था कि कभी कोई मसला पैदा नहीं हुआ।

भाईयों के दरमियान भी हिसाब साफ़ हो

इसलिए शरीअ़त ने हमें यह हुक्म दिया कि अपनी मिल्कियत वाज़ेह होनी चाहिए। जब यह मसला हम अपने मिलने जुलने वालों को बताते हैं कि भाई! अपना हिसाब किताब साफ़ कर लो और बात वाज़ेह कर लो, तो जवाब में कहते हैं कि यह हिसाब किताब करना दूई और ग़ैर होने की बात है। लेकिन चन्द ही सालों के बाद यह होता है कि वही लोग जो उस वक़्त अपनाईयत का मुज़ाहरा कर रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपस के इख़्तिलाफ़ात और झगड़ों का एक बहुत बड़ा सबब मिल्कियतों को साफ़ न रखना है।

मकान की तामीर और हिसाब का साफ़ रखना

या जैसे एक मकान तामीर हो रहा है, उस एक मकान में कुछ पैसे बाप ने लगाए, कुछ पैसे एक बेटे ने लगाए, कुछ पैसे दूसरे बेटे ने लगाए, कुछ पैसे कहीं से क़र्ज़ ले लिए, और इस तरह वह मकान तामीर हो गया। उस वक़्त आपस में कुछ तय नहीं किया कि बेटे इस तामीर में जो पैसे लगा रहे हैं, वे क़र्ज़ के तौर पर लगा रहे हैं? या बाप की मदद कर रहे हैं? या वे बेटे उस मकान में अपना हिस्सा लगाकर पार्टनर बनना चाहते हैं? इसका कुछ पता नहीं, और पैसे सब के लग रहे हैं, लेकिन कोई बात वाज़ेह नहीं है। जब उनमें से एक का इन्तिक़ाल हुआ तो अब झगड़ा खड़ा हो गया कि यह मकान किसका है? एक कहता

है कि मैंने इस मकान में इतने पैसे लगाए हैं, दूसरा कहता है कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, तीसरा कहता है कि ज़मीन तो मैंने ख़रीदी थी, और उस झगड़े के नतीजे में एक फ़साद बर्पा हो गया। उस वक़्त फ़ैसले के लिए मुफ़्ती के पास पहुंचते हैं कि अब आप बताएं कि इसका क्या हल है? ऐसे वक़्त में फ़ैसला करते वक़्त कभी कभी ना इन्साफ़ी हो जाती है।

इसलिए यह मसला अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शरीअ़त का क़ायदा यह है कि अगर बाप के कारोबार में बेटा काम कर रहा है, और बात वाज़ेह हुई नहीं कि वह बेटा किस हैसियत में काम कर रहा है? आया वह बाप का शरीक है या बाप का मुलाज़िम है। तो अगर बेटा सारी उम्र भी इस तरह काम करता रहे तो यह समझा जायेगा कि उसने अल्लाह के लिए बाप की मदद की है, कारोबार में उसका कुछ हिस्सा नहीं है। इसलिए पहले से बात वाज़ेह करनी चाहिए।

दूसरे को मकान देने का सही तरीक़ा

और अगर वज़ाहत करते हुए तक़सीम का मामला करना है तो तक़सीम करने के लिए भी शरीअ़त ने तरीक़ा बताया है कि तक़सीम करने का सही तरीक़ा क्या है? सिर्फ़ यह कह देने से नहीं होता कि मैंने तो अपना मकान बीवी के नाम कर दिया था। यानी उसके नाम मकान रजिस्ट्री करा दिया था। अब रजिस्ट्री करा देने से वह यह समझे कि वह मकान बीवी के नाम हो गया, हालांकि शरई एतिबार से

कोई मकान किसी के नाम रजिस्ट्री कराने से उसकी तरफ़ मुन्तक़िल नहीं होता, जब तक उस पर उसका क़ब्ज़ा न करा दिया जाए, और उस से यह न कहा जाए कि मैंने यह मकान तुम्हारी मिल्कियत कर दिया, अब तुम इसके मालिक हो। इसके बग़ैर दूसरे की मिल्कियत उस पर नहीं आती।

तमाम मसाइल का हल, शरीअ़त पर अ़मल

इन सारे मसाइल का आज लोगों को इल्म नहीं। इसका नतीजा यह है कि अलल् टप मामला चल रहा है, और उसके नतीजे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फ़ितना फ़साद फैल रहा है, और समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, आपस में मुक़द्दमे बाज़ियां चल रही हैं। अगर आज लोग शरीअ़त पर ठीक ठीक अ़मल कर लें तो आधे से ज़्यादा मुक़द्दमे तो ख़ुद बख़ुद ख़त्म हो जाएं।

ये ख़राबियां और झगड़े तो उन लोगों के मामलात में हैं जिनकी नियत ख़राब नहीं है। वे लोग जान बूझकर दूसरों का माल दबाना नहीं चाहते, लेकिन जहालत की वजह से उन्होंने ऐसा तरीक़ा इख़्तियार किया कि उसके नतीजे में लड़ाई झगड़ा खड़ा हो गया। लेकिन जो लोग बद–दियानत हैं, जिनकी नियत ही ख़राब है, जो दूसरों का माल हड़प करना चाहते हैं, उनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं।

ख़ुलासा

बहर हाल! यह बहुत बड़ा फ़साद है जो हमारे समाज

में फैला हुआ है। इस मसले को ख़ुद को भी अच्छी तरह समझना चाहिए और अपने तमाम मिलने जुलने वालों और अ़ज़ीज़ों व रिश्तेदारों को भी यह मसला बताना चाहिए कि एक बार हिसाब साफ़ कर लें और फिर आपस में मुहब्बत के साथ मामलात करें। लेकिन हिसाब साफ़ होना चाहिए और हर बात वाज़ेह होनी चाहिए, कोई बात ग़ैर वाज़ेह और ना मुकम्मल न रहे। अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व करम से हम सब को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

واٰخردعوانا ان الحمد للّٰہ رب العالمین